न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—सरकार बनाम परवेज खान
किस्म— सैशन प्रकरण नंबर—19/16 क.न.—83/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-09-25	सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त परवेज खान मय अधिवक्ता उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में गवाह अम्बुबाई का गिरफतारी वारण्ट अदम लोट का प्राप्त हुआ जिस पर अम्बुबाई पत्नि दिलीप सिंह निवासी सिंगनुर थाना गोगावा जिला खरगौन, मध्यप्रदेश उक्त पते पर गवाह अपने घर पर नहीं मिली। परिजनों द्वारा बताया गया कि अम्बुबाई अपने किसी रिश्तेदार के गई हैं। बार—बार तामील जारी की गई, लेकिन गवाह उपस्थित नहीं आया एवं रिपोर्ट कर्ता ने जाहिर किया कि पिछले कई दिनों से अपने घर पर नहीं रहती। जिससे यह प्रतीत होता है कि गवाह गवाही देना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में गवाह अम्बुबाई का गिरफतारी वारण्ट से तलब कर जमानती की निशादेही से कराई जावें। जमानती को निशादेही से तामील करवाने हेतु पाबंद किया जावें। अन्यथा जमानती के विरूद्ध नियमानुसार पृथक से उचित कार्यवाही अमल में लाई जावें। गवाह गुरूदेव सिंह उर्फ गोगा बाद तामील अनुपस्थित गवाह गुरूदेव सिंह उर्फ गोगा का गिरफतारी वारण्ट से तलब करें एवं वारण्ट पर प्रकरण वर्ष 2016 से लंबित हैं। जो पुराने प्रकरणों की सूचि में 03 नम्बर पर दर्ज हैं, जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश हैं का वांछित नोट लाल स्याही से लगाया जावें।	

अपर सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मिसल वास्ते पत्रावली पुर्व नियत दिनांक 19.09.2025 को पेश हों। अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	